कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

क्रमांकः–03/2017 विविध/अभ्यावेदन/ दिनांकः–

–: आदेश :–

श्री प्यारे लाल मीणा तत्कालीन पटवार मण्ड़ल अभयपुर तहसील चित्तौड़गढ जिला चितौड़गढ द्वारा वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 2009–10 में स्वीकारकर्ता प्राधिकारी (कलक्टर) चित्तौड़गढ द्वारा I do not Accept this disceplinary proceeding for irregularly is under going has been unsatisfactory की टिप्पणी अंकन किये जाने से एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

इस अभ्यावेदन प्राप्त होने के उपरान्त जिला कलक्टर, चितौड़गढ से श्री प्यारे लाल मीणा पटवारी के वार्षिक कार्य मुल्याकंन प्रतिवेदन मय टिप्पणी के प्राप्त किये जाकर अभ्यावेदनकर्ता को दिनांक 24–10–2017 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उसे सुना गया। श्री प्यारे लाल मीणा द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान निवेदन किया कि प्रतिवेदक अधिकारी तहसीलदार चित्तौड़गढ द्वारा कार्य के बारे में वार्षिक कार्य मूल्यांकन में कार्य अच्छा होने की प्रविष्टि की है तथा समीक्षक अधिकारी, उपखण्ड़ अधिकारी चित्तौड़गढ द्वारा भी कार्य अच्छा होने की प्रविष्टि की है। मगर स्वीकारकर्ता प्राधिकारी ने I do not Accept this disceplinary proceeding for irregularly is under going has been unsatisfactory का अंकन कर दिया है जिसे प्रतिकूल प्रविष्टि होना मानते हुए डिपीसी की सूचना में जिला कलक्टर कार्यालय से प्रतिकूल प्रविष्टि होना रेकार्ड में अंकन किया है , जो नियमानुसार सही नहीं होकर विचाराधीन होने से प्रतिकूल की श्रेणी में नहीं आता है। जिला कलक्टर चित्तौड़गढ द्वारा इस गोपनीय प्रतिवेदन में टिप्पणी से सम्बन्धित विभागीय जांच नियम 16में मुझ कार्मिक के निर्दोष होने से दिनांक 15/02/2012 को कार्यवाही समाप्त (DROP,s) की जाकर निर्णित कर दी गयी है मुझ कार्मिक को मेरे वार्षिक कार्य मुल्यांकन 2009–10 में स्वीकारकर्ता प्राधिकारी महोदय द्वारा की गयी टिप्पणी की प्रतिकूलता के संबन्ध में जिला कार्यालय द्वारा आज दिनांक तक कोई सूचना / जानकारी /प्रत्युत्तर के अवसर /सुनवायी का मौका नही दिया गया है जिससे मैं अपना पक्ष प्रस्तुत कर उक्त प्रविष्टि के क्रम में अपना स्पष्टीकरण पेश करने में विफल रहा एवं मुझे सुनवायी के महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित किया गया । ऐसी स्थिति में मुझ कार्मिक के वार्षिक कार्य मुल्यांकन वर्ष 2009–10 में प्रतिकूल प्रविष्टि साबित होने का कोई आधार /सबूत नहीं होने से उक्त स्वीकारकर्ता प्राधिकारी की प्रविष्टि निरस्त फरमायी जाने का निवेदन किया।

हमने श्री प्यारे लाल मीणा तत्कालीन पटवारी, पटवार मण्ड़ल अभयपुर तहसील चित्तौड़गढ जिला चितौड़गढ हाल पटवारी सादी तहसील चितौड़गढ़ की व्यक्तिगत सुनवाई पर मनन किया तथा उपलब्ध अभिलेख का गहनता से अध्ययन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि प्राप्त मूल पत्रावली जिला कलक्टर चित्तौड़गढ में क्रमांक/भूअभि/स्था/वा.का.मू./2012/503 दिनांक 30/03/2012 से कार्मिक श्री मीणा को स्वीकारकर्ता की उक्त टिप्पणी पर कोई एतराज हो तो स्पष्टीकरण पेश करने का नोटिस स्वीकारकर्ता प्राधिकारी की टिप्पणी किये जाने के लगभग डेढ वर्ष पश्चात दिया गया जो नियमानुसार नहीं हैं । कार्मिक को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने व सुनवायी का अवसर नहीं दिया गया एवं तत्कालीन विचाराधीन विभागीय कार्यवाही भी दिनांक 15/02/2012 को समाप्त (Drop) की गयी है अतः अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को सुना नहीं गया एवं विचाराधीन विभागीय कार्यवाही के क्रम में स्वीकारकर्ता प्राधिकारी द्वारा वार्षिक कार्य मुल्याकंन में I do not Accept this disceplinary proceeding for irregularly is under going has been unsatisfactory का अंकन कर दिया है जो नियमानुसार प्रतीत नहीं होता है।

अतः श्री प्यारे लाल मीणा तत्कालीन पटवारी अभयपुर तहसील व जिला चित्तौड़गढ हाल पटवारी तहसील चित्तौड़गढ के वर्ष 2009–10 के वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन में तहसीलदार चित्तौड़गढ तथा समीक्षक प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चित्तौड़गढ की प्रविष्टि को यथावत रखी जाकर स्वीकारकर्ता प्राधिकारी (जिला कलक्टर) की प्रतिकूल प्रविष्टि निरस्त की जाती है।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

क्रमांकः–रीडर/ए.सी..आर./2015/ दिनांकः–

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01– जिला कलक्टर, चितौड़गढ।

02– श्री प्यारे लाल मीणातत्कालीन पटवारी, पटवार मण्ड़ल अभयपुर तहसील चित्तौड़गढजिला चितौड़गढ हाल पटवारी तहसील चितौड़गढ

संभागीय आयुक्त,
उदयपुर